क्रम संख्या–108

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 10 जुलाई, 2003 ई0
आषाढ़ 19, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 273/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 10 जुलाई, 2003

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित इक्फाई विश्वविद्यालय (इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनेलिस्ट आफ इण्डिया यूनिवर्सिटी) विधेयक, 2003 को दिनांक 08–07–03 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 16, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003
(अधिनियम सं0 16, वर्ष 2003)

राज्य में इक्फाई (इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनेलिस्ट्स ऑफ इण्डिया) हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश द्वारा प्रायोजित विश्वविद्यालय जिसमें अनुप्रयुक्त वित्तीय प्रबन्धन, सामान्य प्रबन्धन, अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उच्च स्तरीय तथा उद्योग से सम्बन्धित शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया जायेगा और उसे निगमित करने एवं उससे सम्बन्धित या अनुषांगिक, विषयों की व्यवस्था करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

अध्याय–1
प्रारम्भिक

1. (1) यह अधिनियम "इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003" कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ

(2) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने वाली तिथि को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2. (1) जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(क) 'विद्या परिषद्' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् से है;

(ख) 'संघटक महाविद्यालय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय, या संस्था से है;

(ग) 'तकनीकी शिक्षा परिषद्' का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 3 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से है;

(घ) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' का तात्पर्य शिक्षा की उस पद्धति से है जिसमें शिक्षण के लिऐ ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों, जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर–दृश्य प्रसारण (टेलीकॉस्टिंग), इन्टरनेट पर ऑनलाइन, अन्य पारस्परिक विधिया, ई–मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, पारस्परिक संवाद, ई–लर्निंग पत्राचार पाठ्यक्रम, गोष्ठी, सम्पर्क कार्यक्रम, या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो;

(च) 'कर्मचारी' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय, या किसी संघटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी आते हैं;

(छ) 'संकाय' का तात्पर्य विशविद्यालय की संकाय से है;

(ज) 'विहित' का तात्पर्य 'परिनियमों द्वारा विहित' से है;

(झ) किसी संघटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'प्राचार्य' का तात्पर्य संघटक महाविद्यालय के प्रधान से है और इसके अन्तर्गत जहां प्राचार्य न हो, वह उप–प्राचार्य या प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति से है;

(ट) 'क्षेत्रीय केन्द्र' का तात्पर्य ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किसी क्षेत्र में स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से किया गया हो;

(ठ) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है;

(ड) 'परिनियमों और नियमावली' का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों व नियमावली से है;

(ढ) 'अध्ययन केन्द्र' का तात्पर्य विश्वविधालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र से है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया हो;

(त) 'इक्फाई' का तात्पर्य भारतीय सनदी वित्तीय विश्लेषण संस्थान विश्वविद्यालय (इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनेलिस्ट्स ऑफ इण्डिया) की प्रयोजक संस्था भारतीय सनदी वित्तीय संस्थान से है जो हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में पंजीकृत सोसाइटी है;

(थ) 'अध्यापक' का तात्पर्य आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य/व्याख्याता या ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने, या शोध कार्य के संचालन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुरूप नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य भी आता है।

(द) 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत की गई है;

(न) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित इक्फाई विश्वविद्यालय देहरादून से है;

(प) 'कुलाध्यक्ष' (विजिटर) का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष से है।

अध्याय–2

विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये प्रस्ताव

3. (1) इक्फाई को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

(2) इक्फाई राज्य सरकार को विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव सहित एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत करेगा। इस आवेदन–पत्र के प्रस्ताव में निम्न विवरण प्रस्तुत किये जायेंगे :–

(क) इक्फाई के पूर्ण विवरण सहित विश्वविद्यालय के उद्देश्य;

(ख) विश्वविद्यालय की प्रास्थिति, विस्तार और भूमि की उपलब्धता;

(ग) आगामी पांच वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले शैक्षणिक एवं अनुसंधान कार्यक्रमों की प्रकृति तथा प्रकार;

(घ) संकायों की प्रकृति, पाठ्यक्रम तथा आरम्भ किया जाने वाला प्रस्तावित शोध कार्य;

(च) विश्वविद्यालय परिसर का विकास जैसे–भवन, उपस्कर तथा संरचनात्मक सुख सुविधायें;

(छ) आगामी पांच वर्षों के लिए पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध परिव्यय;

(ज) मदवार आवर्ती व्यय, वित्तीय स्रोत एवं प्रत्येक छात्र के लिए अनुमानित व्यय;

(झ) संसाधन जुटाने की योजना तथा उसकी पूंजीगत लागत और उन्हें चुकाने के तरीके;

(ट) आन्तरिक संसाधनों–विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क, परामर्श एवं विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय द्वारा आन्तरिक निधियों के सृजन की योजना;

(ठ) संस्था की लागत पर आने वाले व्यय, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों छात्रों के लिए शिक्षण शुल्कों में दी जाने वाली रियायतों या छूटों की सीमा, निःशुल्कता और छात्रवृत्तियाँ तथा प्रवासी भारतीयों एवं विदेश से आने वाले विद्यार्थियों से विभिन्न दरों पर, यदि कोई हों, लिये जाने वाले शुल्कों के स्वरूप का ब्यौरा;

(ड) इक्फाई में उपलब्ध सम्बन्धित विषयों में विशेषज्ञता एवं अनुभव की अवधि तथा वित्तीय संसाधन;

(ढ) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों की चयन पद्धति तथा;

(न) विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व ऐसी अन्य शर्तों की, जिनकी पूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा अपेक्षित हो, पूर्ति की प्रास्थिति;

विश्वविद्यालय की स्थापना

4. (1) यदि प्रदेश सरकार आवश्यक को ऐसी जांच करने के उपरान्त, जिसे वह आवश्यक समझे, का समाधान हो जाये कि धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट शर्तें पूर्ण कर ली गयी हैं तो इक्फाई हैदराबाद को स्थाई विन्यास निधि स्थापित करने के लिए निर्देश देंगी।

(2) स्थायी विन्यास निधि की स्थापना के उपरान्त राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित कर विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर सकेगी।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय उत्तरांचल, देहरादून में स्थित होगा तथा जैसा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये वह अन्य स्थानों पर भी परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों की स्थापना विजिटर के अनुमोदन से कर सकेगा।

(4) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति एवं व्यवस्थापक मंडल, प्रबन्ध मंडल एवं विद्या परिषद् के सदस्य इस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय में तत्समय उक्त पदों पर कार्य करते हुए निगमित निकाय गठित कर सकेंगे और विश्वविद्यालय के नाम से वाद दायर कर सकेंगे एवं व्यथित पक्ष द्वारा उनके विरुद्ध वाद दायर किये जा सकेंगे।

(5) उपधारा 2 के अधीन उत्तरांचल राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहीत निर्मित, सृजित, व्यवस्थित अथवा निर्मित भूमि तथा चल एवं अचल सम्पत्तियां भी लिये जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा इक्फाई हैदराबाद की सम्पत्तियों को छोड़कर विश्वविद्यालय को अन्तरित एवं उसमें निहित हो जायेगी।

(6) विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहीत भूमि, भवन एवं अन्य सम्पत्तियों का उस प्रयोजन से भिन्न, जिसके लिए उन्हें अधिग्रहीत किया गया है, उपयोग नहीं किया जायेगा।

विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना

5. विश्वविद्यालय स्वतः वित्त पोषक होगा और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय, या निगम से किसी सहायता अनुदान, या किसी अन्य वित्तीय सहायता की न तो कोई माँग करेगा और न ही उसके लिए हकदार होगा।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

6. विश्वविद्यालय में संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र हो सकते हैं, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय, संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

7. जिन उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, वे इस प्रकार हैं :–

(क) वित्तीय विश्लेषण, बैंकिंग, बीमा, वित्तीय सेवाओं, वित्तीय प्रबन्धन, सामान्य प्रबन्धन, प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं, विधि तथा सम्बन्धित विषयों सहित वित्त एवं प्रबन्ध के विशिष्ट क्षेत्रों के शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण तथा शोध कार्य तथा उन विषयों में ज्ञान के अभिवर्द्धन तथा प्रसार की व्यवस्था करना;

(ख) उत्तरांचल राज्य में विश्वविद्यालय परिसर और भारत में विभिन्न स्थानों तथा विदेशों में अध्ययन केन्द्रों की स्थापना;

(ग) अनवरत एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करना;

(घ) परीक्षा अथवा मूल्यांकन किसी अन्य विधि के आधार पर उपाधियां, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें संस्थित और प्रदान करना।

(च) छात्रों, संकाय सदस्यों तथा अन्य के लिए विशेष शैक्षिक तथा अनुसंधान कार्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विनियम कार्यक्रमों की संकल्पना, रूपरेखा तैयार करने और विकास हेतु भारत या समुन्दर पार के देशों में किसी अन्य महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, उद्योगों के संघ, व्यावसायिक संघ या किसी अन्य संगठन से सहयोग।

(छ) गोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यपालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों, प्रकाशनों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा ज्ञान का प्रसार।

(ज) भारत या विदेशों में विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थानों के संकाय सदस्यों के प्रशिक्षण एवं विकास के लिए कार्यक्रम आरम्भ करना।

(झ) भारत तथा विदेशों में किसी संगठन के साथ सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रम आरम्भ करना तथा प्रौद्योगिकियों का व्यापारीकरण।

(ट) उपर्युक्त उद्देश्यों के प्रोत्साहन हेतु समस्त आवश्यक अथवा समीचीन कार्य।

(ठ) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य उद्देश्य के अनुसार कार्य करना।

8. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :— विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

(क) परिनियमों में निर्दिष्ट रीति से ऐसे क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करना, अनुरक्षण एवं मान्यता प्रदान करना जिन्हें विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाये;

(ख) विश्वविद्यालय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसे अन्य समस्त गतिविधियां सम्पादित करना जो आवश्यक अथवा साध्य हो;

(ग) परिनियमों में अभिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद् उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना;

(घ) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ तथा पुरस्कार संस्थित एवं प्रदान करना;

(च) ऐसे शुल्क, बिल, बीजक की मांग करना और प्राप्त करना तथा ऐसे प्रभार संग्रह करना जो यथास्थिति परिनियमों या नियमों द्वारा नियत किये जायें;

(छ) छात्रों और कर्मचारियों के लिए पाठ्येत्तर क्रिया–कलापों की व्यवस्था करना;

(ज) विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों में संकाय, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

(झ) विश्वविद्यालय, या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों के प्रयोजनार्थ संदान और किसी प्रकार के उपहार प्राप्त करना तथा न्यास और विन्यास की सम्पत्तियों सहित किसी चल, अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण, धारण, प्रबन्ध, अनुरक्षण और निपटारा करना।

(ट) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, के छात्रों के लिए छात्रावास (हॉल) संस्थित और उनका अनुरक्षण करना और निवास स्थानों को निश्चित करना;

(ठ) आवास का नियंत्रण, पर्यवेक्षण और समस्त श्रेणी के कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य अनुशासन पर नियंत्रण रखना और आचार संहिता सहित ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तें विनिर्दिष्ट करना।

(ड) शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं सहायक कर्मचारियों और अन्य आवश्यक पदों का सृजन;

(ढ) अन्य विश्वविद्यालयों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य और सहयोग करना, जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे;

(त) दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऐसी रीति की व्यवस्था करना जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा को आयोजित किया जा सके;

(थ) अध्यापकों, पाठ लेखकों, मूल्याँककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ और अन्य, कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना;

(द) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र और विद्या परिषद् के अनुमोदन से प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना;

(ध) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र या अध्ययन केन्द्र में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उत्तरांचल राज्य के छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था करना;

(न) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक ऐसे सभी अन्य कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के प्रासंगिक हों या न हों।

(प) विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टर ऑफ फिलासफी, डॉक्टर ऑफ साइन्स की उपाधियों एवं शोध कार्य के लिए ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित करना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा आखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत आते हैं। किन्तु अपने विषयों में डिप्लोमा प्रमाण–पत्र आदि दिये जाने के सम्बन्ध में अपना पाठ्यक्रम आरम्भ करने का विश्वविद्यालय को अधिकार होगा।

(फ) विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियां, न्यास की गतिविधियों से स्पष्ट्तया विलग होंगी।

(ब) फिल्म, कैसेट, टेप वीडियो कैसेट, सी०डी०, वी०सी०डी० और अन्य सॉफ्टवेयर इत्यादि सहित शैक्षिक सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करना।

(भ) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण या आंशिक) को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता प्रदान करना और उनको दी गई मान्यता किसी भी समय समाप्त करना।

(म) शासी निकाय के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या उसके बिना विश्वविद्यालय के लिए धन जुटाना, संग्रह करना, स्वीकार करना और ऋण प्राप्त करना।

(य) संविदा करना, उसका निष्पादन करना, उसमें परिवर्तन करना या उसे समाप्त करना।

विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति एवं लिंग की पहुँच होगी

9. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा भले ही वे किसी भी वर्ग, जाति या लिंग के हों। परन्तु, इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तरांचल के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विशेष प्राविधान करने पर प्रतिबन्ध है।

राष्ट्रीय/प्रत्यायन

10. विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्थाओं से मान्यता प्राप्त करेगा।

अध्याय–3

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :–

(क) कुलाध्यक्ष (विजिटर);

(ख) कुलाधिपति;

(ग) कुलपति;

(घ) प्रति–कुलपति (प्रो–वाइस चांसलर);

(च) कुल सचिव;

(छ) वित्त अधिकारी; और

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें संविधियों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाध्यक्ष (विजिटर)

12. (1) उत्तरांचल के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।

(2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हों, तो उपाधियाँ एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(3) कुलाध्यक्ष को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात–

(क) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी पत्र या सूचना को मंगाना;

(ख) कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर कुलाध्यक्ष यदि उसका समाधान हो जाता है कि कोई आदेश, कार्यवृत्त या निर्णय चाहे विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया हो, अधिनियम, परिनियम, अथवा नियमावली के अनुरूप नहीं है तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकेंगे, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे, निर्देश दे सकेंगे और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी सम्बन्धितों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

कुलाधिपति

13. (1) इक्फाई कुलाधिपति के पद पर नियुक्ति के उपयुक्त व्यक्ति को कुलाध्यक्ष की पूर्व सहमति से इक्फाई का कुलाधिपति नियुक्त करेंगे।

(2) इस प्रकार नियुक्त कुलाधिपति पांच वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेंगे।

(3) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उसे इस अधिनियम, या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदान की जाये।

कुलपति

14. (1) कुलाधिपति द्वारा उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :–

(क) कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा नामित एक सदस्य;

(ख) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य;

(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;

(घ) व्यवस्थापक मण्डल के दो नाम निर्देशिती, जिनमें से एक को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा समिति के संयोजक के रूप में नामित किया जायेगा।

(3) समिति योग्यता के आधार पर उप–कुलपति का पद धारण करने के लिए उपयुक्त तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की शैक्षित योग्यताओं तथा अन्य विशिष्टताओं को दर्शाते हुए एक संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को अग्रसारित करेगी।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को लागू करेगा।

(5) जहां अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्रवाई करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्रवाई करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्रवाई न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या नियमावली अभिकथित किये जायें।

(7) कुलाधिपति को सम्यक् जाँच के बाद कुलपति को हटाने का अधिकार प्राप्त है। कुलाधिपति, जाँच के दौरान आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, जैसा वह उचित समझे, कुलपति को निलम्बित कर सकेंगे।

प्रति–कुलपति (प्रो–वाइस चांसलर)

15. प्रति–कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी, जैसी कि परिनियमों में विहित की जाये और प्रति–कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

संकाय अध्यक्ष

16. संकाय अध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जा सकेगी कि परिनियमों के द्वारा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

कुलसचिव

17. (1) कुल सचिव, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसी कि विहित की जाएं।

(2) कुलसचिव, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जायें, या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हों।

(4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएँ और दस्तावेज, जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

वित्त अधिकारी

18. वित्त अधिकारी कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो कि विहित किये जायें।

अन्य अधिकारी गण

19. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निर्बन्धन और शर्तें तथा शक्तियों तथा कर्तव्य ऐसे होंगे जो विहित किये जायें।

अध्याय–4

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

20. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :–

(क) व्यवस्थापक मण्डल;

(ख) प्रबन्ध मण्डल;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति; और;

(च) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें संविधियों द्वारा विश्वविद्यालय से प्राधिकारी घोषित किया जाये।

व्यवस्थापक मण्डल और उसकी शक्तियां

21. (1) व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित होंगे :–

(क) कुलाधिपति – अध्यक्ष

(ख) कुलपति – सदस्य–सचिव

(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव या राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य सरकार का सचिव;

(घ) इक्फाई हैदराबाद द्वारा नामित तीन सदस्य;

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित व्यक्ति;

(च) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित राज्य के दो प्रख्यात विद्याविद् एवं शिक्षाविद् जिनमें न्यूनतम एक महिला होगी।

(छ) कुलाधिपति द्वारा नामित दो विद्याविद् जिनमें न्यूनतम एक महिला होगी। कुलसचिव व्यवस्थापक मण्डल का पदेन सदस्य होगा। कुलसचिव व्यवस्थापक मण्डल का पदेन सचिव होगा।

(2) व्यवस्थापक मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासनिक संस्था होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी :–

(क) विश्वविद्यालय के संवैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति।

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण;

(ग) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का, यदि वे इस अधिनियम या परिनियमों या नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हों, पुनरावलोकन;

(घ) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन;

(ङ) नए या अतिरिक्त परिनियमों को बनाना, या पूर्व में बने परिनियमों अथवा नियमावली का संशोधन या निरसन;

(च) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक समापन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना; और

(छ) राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन, और

(ज) ऐसे निर्णय एवं उपाय करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए वांछनीय पाये गये हैं।

(3) व्यवस्थापक मण्डल वर्ष में न्यूनतम तीन बैठक ऐसे समय और स्थान पर रखेगा, जैसा कि कुलाधिपति उचित समझें।

प्रबन्ध मण्डल

22. (1) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(क) कुलपति;

(ख) कुलसचिव;

(ग) इक्फाई, हैदराबाद द्वारा नामित चार व्यक्ति;

(घ) कुलाधिपति द्वारा नामित संकायों के दो संकायाध्यक्ष;

(ङ) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो राज्य सरकार में संयुक्त सचिव से निम्न पद का न हो;

कुलपति प्रबन्ध मण्डल का सभापति तथा कुल सचिव प्रबन्ध मण्डल का सचिव होगा।

(2) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियाँ एवं कृत्य वहीं होंगे, जो विहित किये जायें।

विद्या परिषद्

23. (1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(क) कुलपति	–	सभापति
(ख) कुल सचिव	–	सचिव
(ग) ऐसे अन्य सदस्य	–	जैसा परिनियमों में विहित किया जाये।

(2) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक संस्था होगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों के अन्तर्गत रहते हुए, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

वित्त समिति

24. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(क) कुलपति	–	सभापति
(ख) कुल सचिव	–	सचिव
(ग) वित्त अधिकारी		

(घ) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो राज्य सरकार में संयुक्त सचिव स्तर से निम्न पद का न हो।

(ङ) ऐसे अन्य सदस्य, जैसा परिनियमों में विहित किया जाये।

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय संस्था होगी, जो वित्तीय मामलों की देखभाल करेगी, और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों में समन्वय स्थापित करेगी एवं उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

अन्य प्राधिकरण

25. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे कि विहित किये जायें।

रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

26. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी।

अध्याय–5

परिनियम और नियम

परिनियम

27. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों से सम्बद्ध किसी विषय के लिए परिनियम द्वारा व्यवस्था की जा सकती हैं जो निम्नवत् है :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य–सम्पादन और ऐसी इकाइयों के गठन की प्रक्रिया जो इस विधेयक में विनिर्दिष्ट नहीं की गई हैं;

(ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संप्रचालन;

(ग) कुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति की शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की भर्ती की रीति और सेवा शर्तें;

(च) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के निराकरण की प्रक्रिया;

(छ) विभागों और संकायों का सृजन, समउत्सादन और उनकी पुर्नसंरचना;

(ज) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं से सहयोग की रीति;

(झ) मानद् उपाधियों प्रदान करने की प्रक्रिया;

(ट) निःशुल्कता और छात्रवृत्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में उपबन्ध;

(ठ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया भी सम्मिलित है तथा उत्तरांचल के विद्यार्थियों के लिए स्थानों के आरक्षण की प्रक्रिया;

(ड) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क;

(ढ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, निःशुल्कता, पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(त) पदों का सृजन और समापन की प्रक्रिया;

(थ) अन्य विहित विषय।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

28. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये गये प्रथम परिनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे, जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के परिनियमों की प्राप्ति के दिनांक के तीन माह के अन्दर अपना अनुमोदन दे सकेंगे।

(2) यदि राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में परिनियमों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है, वहां यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने परिनियमों को अनुमोदित कर दिया है।

परिनियमों में संशोधन करने की शक्ति

29. व्यवस्थापक मंडल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

नियम

30. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियमों में निम्नलिखित समस्त या विषयों के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रूप में बने रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) उपाधियों तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं को प्रदान करना;

(घ) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियां पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;

(च) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों (मॉडरेटर) की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;

(छ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विष्टिताओं में प्रवेश के लिए लिये जाने वाला शुल्क;

(ज) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;

(ट) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में प्रावधान किया जाये।

नियम किस प्रकार बनाये जायेंगे

31. (1) नियमावली व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनायी जायेंगी और इस प्रकार बनायी गयी नियमावली राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेंगी, जो कि नियमावली की प्राप्ति के दिनांक से दो माह के अन्दर उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में नियमावली के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने में असमर्थ हो तो, वहां यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने नियमावली को अनुमोदित कर दिया है।

नियमों को संशोधित करने की शक्ति

32. राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए और प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन से विद्या परिषद नये या अतिरिक्त नियम बना सकेगी या नियमावली को संशोधित या निरस्त कर सकेगी।

अध्याय–6

प्रकीर्ण

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

33. (1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी, और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।

(2) छात्रों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई विश्वविद्यालय परिनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार नियंत्रित होगी।

(3) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें प्रबन्ध मंडल द्वारा नियुक्त एक सदस्य सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा।

(4) ऐसे मामलों में अधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

(5) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विहित की जाये।

अपील का अधिकार

34. विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के प्राचार्य, किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विनिश्य के विरुद्ध प्रबन्ध मण्डल को, ऐसे समय के अन्दर, जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध मण्डल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट, उपान्तरित या परिवर्तित कर सकेगा।

भविष्य निधियां एवं पेंशन

35. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाये, ऐसी भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा योजना की व्यवस्था करेगा, जो वह उचित समझे।

विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन सम्बन्धी विवाद

36. यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में विधिवत निर्वाचित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्तक व्ययों के लिये किया जायेगा।

विकास निधि

43. (1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात्–

(क) विकास शुल्क–जिसे छात्र पर प्रभारित किया जाये;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास प्रयोजनों के लिये किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;

(ग) इक्फाई, हैदराबाद द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिन्हें तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित किये गये सभी अंशदान/दान; और

(च) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय–समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

44. धारा 41, 42 और 43 के अधीन स्थापित निधियों को व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अध्याधीन रहते हुए, विहित रीति से विनियमित एवं अनुरक्षित किया जायेगा।

वार्षिक प्रतिवेदन

45. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के निर्देशन के अधीन तैयार किया जायेगा और उसे व्यवस्थापक मण्डल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) व्यवस्थापक मण्डल अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और वह उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित कर सकता है।

(3) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विधिवत् अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, प्रति वर्ष 31 मार्च को वर्ष की समाप्त हुए वित्त वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

लेखा तथा लेखा–परीक्षा

46. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र प्रबन्धक मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोदभूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका संवितरण या भुगतान किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये लेखों में प्रविष्टि की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं की लेखा–परीक्षक द्वारा लेखा–परीक्षा की जायेगी जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया (आई0सी0ए0आई0) का सदस्य हो।

(3) लेखा परीक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखाओं और तुलन–पत्र की एक प्रति, प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से काफी पहले व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखा, तुलन–पत्र और लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उस पर अपनी सम्प्रेक्षण 31 दिसम्बर से पहले अभ्युक्तियों के साथ प्रति वर्ष उसे कुलाध्यक्ष और राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

(5) लेखा–परीक्षकों के प्रतिवेदन में किसी सारवान शर्त होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिये जायेंगे और ऐसे निर्देश विश्वविद्यालय के लिए बन्धनकारी होंगे।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को प्रमाणित करने की विधि

47. विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की कोई रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से विधिवत रखी गयी किसी पंजी की कोई प्रविष्टि होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई होती हो, तो वह साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होती।

विश्वविद्यालय का विघटन

48. (1) यदि इक्फाई, हैदराबाद अपने संगठन या निगमन को नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार इक्फाई विश्वविद्यालय के विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा।

(2) विश्वविद्यालय की प्रबन्ध प्रणालियों में कुप्रबन्ध, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में विफल होने एवं आर्थिक कठिनाइयों की पहचान किये जाने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय की प्रबन्ध व्यवस्था को निर्देश जारी करेगी, जिनका ऐसी समय सीमा के अधीन जैसी विहित की जाये, अनुपालन न होने पर विश्वविद्यालय के परिसमापन का निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।

(3) विश्वविद्यालय का परिसमापन ऐसी रीति से किया जायेगा जो इस विषय में राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये, परन्तु उसके लिए इक्फाई, हैदराबाद को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही ऐसी कोई कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके इक्फाई, हैदराबाद द्वारा विश्वविद्यालय विघटन के प्रस्तावित दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

विश्वविद्यालय के विघटन के समय विश्वविद्यालय के व्यय

49. (1) धारा 48 के अधीन विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिए होना वाला व्यय स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से पूरा किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियां, विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों के निस्तारण द्वारा की जा सकती है।

कठिनाइयों का निवारण

50 (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचना या आदेश द्वारा, ऐसे प्राविधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन कोई अधिनियम या आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

आज्ञा से,

भरोसी लाल,

सचिव।